



मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur (M.P.)



क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./कु.स./2026/2041

जबलपुर, दिनांक-10/06/2026

**Revised Notification For Enrollment Registration in PARAMEDICAL Faculty
Session 2023-24**

-----000-----

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय जिनमें पैरामेडिकल संकाय के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, ऐसे समस्त संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के लिये सत्र 2023-24 में प्रवेशित सभी छात्र-छात्राओं के पंजीयन/Registration करने के लिये ITI Ltd द्वारा Student Registration Portal Link- <https://impsuierp.in/mpsu-iums> पर पंजीयन हेतु अधिसूचना क्रमांक-1474, दिनांक 16/04/2026 में अंकित तिथियों में निम्नानुसार वृद्धि कर संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है। (महाविद्यालय पंजीयन उपरांत 07 दिवस के भीतर संलग्न शपथ पत्र प्रारूप अनुसार छात्रों की जानकारी विश्वविद्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें, ताकि नामांकन जारी किये जा सकें।)

स.क्र.	तिथि से तिथि तक
01	10 जून 2026 से 18 जून 2026 तक

अधिक जानकारी/किस्सी भी प्रकार की समस्या हेतु संपर्क करें ITI Ltd Customer Care No: 74891 80769/97989 99970 & Email ID- query.mpsu.iti@gmail.com

- समस्त महाविद्यालयों एवं छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि पंजीयन (Registration) करते समय सम्पूर्ण जानकारी (जैसे- विद्यार्थी का नाम, पिता व माता का नाम, जन्म/प्रवेश तिथि, महाविद्यालय/ब्रांच-कोर्स का नाम आदि) सभी सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करें।
- महाविद्यालय अपने सभी छात्रों के समस्त आवश्यक दस्तावेज (10वीं व 12वीं की मार्कशीट, टी.सी., माईग्रेशन सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड, गैप सर्टिफिकेट एवं प्रवेश रसीद आदि) पंजीयन (Registration) करते समय पोर्टल पर स्पष्ट रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- महाविद्यालयों के विभिन्न कोर्सों में प्रवेशित विद्यार्थियों की आहर्ता का विश्वविद्यालय एवं संबंधित काउंसिल के समस्त नियमों के अनुरूप पालन सुनिश्चित करना महाविद्यालयों के अधिष्ठाता/प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी।
- समस्त विद्यार्थियों के आवश्यक मूल दस्तावेज जाँचने तथा महाविद्यालय में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी महाविद्यालय अधिष्ठाता/प्राचार्य की होगी तथा जब भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी विद्यार्थी की जानकारी, मूल दस्तावेज माँगे जायेंगे, उन्हें नियत दिवस के अंदर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी अधिष्ठाता/प्राचार्य की होगी। अतः प्रवेशित विद्यार्थियों के किसी भी तरह के दस्तावेज विश्वविद्यालय में जमा करने की आवश्यकता तब तक नहीं होगी जब तक ऐसे दस्तावेजों की विश्वविद्यालय द्वारा माँग नहीं की जाती।
- इस अधिसूचना में उपलब्ध कराई गई तिथियों के दौरान महाविद्यालयों के द्वारा आवंटित सीटों के विरुद्ध प्रवेशित किये गये जिन छात्रों का पंजीयन नहीं कराया जावेगा और रिक्त Seats Lock हो जावेगी, उन रिक्त सीटों के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा यह माना जायेगा, कि रिक्त सीटों के विरुद्ध महाविद्यालय में कोई भी छात्र प्रवेशित नहीं हुआ है एवं इस रिक्त रहे स्थानों/सीटों के विरुद्ध किसी भी छात्र के संबंध में छात्र या महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पत्राचार किसी भी आधार पर निषेध रहेगा।
- सभी महाविद्यालयों के छात्रों की पंजीयन/नामांकन फीस अधिनियम/परिनियम अनुसार देय होगी।
- प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों के नामांकन पंजीयन पश्चात् 1000/- रुपये राशि के शपथ पत्र पर निम्नानुसार जानकारी अंकित कर, विश्वविद्यालय में शपथ पत्र की मूलप्रति एक सप्ताह के अंदर जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा विद्यार्थियों के नामांकन जारी नहीं किये जायेंगे। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।
- विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा संबंधित प्रवेश वर्ष में विद्यार्थियों के पंजीयन के संबंध में संलग्नानुसार (निम्नलिखित प्रारूप में) घोषणा पत्र जारी किया जायेगा।

शपथ पत्र प्रारूप (एक हजार रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज शपथ पत्र देना सुनिश्चित करें।)

- महाविद्यालय का नाम :-
- महाविद्यालय का पता :-
- सत्र :-
- कोर्स (सभी कोर्सेस) :-

काउंसिल द्वारा महाविद्यालय को प्राप्त, मान्यता तिथि :- एवं सीट संख्या (काउंसिल में पंजीयन किये गये कोर्स में विद्यार्थियों की सूची(काउंसिल एप्लीकेशन नंबर सहित) की प्रतिलिपि (महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित) एवं मान्यता पत्र देना सुनिश्चित करें।

विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त संबद्धता अनुसार निम्नानुसार जानकारी अंकित करना सुनिश्चित करें :-

स.क्र.	संबद्धता पत्र क्रमांक एवं तिथि	कोर्स	प्राप्त सीट संख्या	प्राप्त सीट संख्या के विरुद्ध पंजीकृत किये गये छात्रों की संख्या	रिक्त सीट संख्या
01					
02					



पोर्टल पर पंजीयन किये गये विद्यार्थियों के संबंध में निम्नानुसार जानकारी अंकित करना सुनिश्चित करें :-

स.क्र.	कोर्स	पोर्टल पर पंजीयन किये गये विद्यार्थियों के नाम	पिता का नाम	महाविद्यालय में विद्यार्थियों की प्रवेश दिनांक (Admission Register / रिकॉर्ड / फीस / रसीद अनुसार)	विद्यार्थियों की वर्षवार कक्षाओं में उपस्थिति।	विद्यार्थियों द्वारा अटैंड की गई कक्षाओं का विवरण
01						
02						

02. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि महाविद्यालय द्वारा सत्र 2023-24 में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में संबंधित काउंसिल द्वारा नियत अंतिम तिथि (पैरामेडिकल काउंसिल पत्र में उल्लेखित तिथि).....के पूर्व विद्यार्थियों का प्रवेश दिया गया है।
03. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे पता है कि विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन के लिए छात्रों का पंजीकरण संस्थान की एकमात्र जिम्मेदारी है।
04. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि पोर्टल पर पंजीकृत सभी विद्यार्थियों को मेरे द्वारा पंजीकृत किया गया है और मैंने संबंधित पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय और संबंधित परिषद् द्वारा परिभाषित न्यूनतम पात्रता मापदंड, नियमों और विनियमों की जाँच कर ली है और पंजीकृत सभी विद्यार्थी निर्धारित सभी मापदंडों को पूरा करते हैं।
05. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि समस्त छात्रों के पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेज मूल दस्तावेजों द्वारा स्कैन किए गए हैं मैंने स्वयं जाँच की है और संतुष्ट हूँ कि सभी दस्तावेज मूल हैं और आवश्यक मापदंडों को पूरा करते हैं।
06. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि सत्र 2023-24 में प्रवेशित विद्यार्थियों के मूल दस्तावेज महाविद्यालय में सुरक्षित रखे गये हैं। यदि विश्वविद्यालय किसी भी विद्यार्थी का मूल दस्तावेज या छायाप्रति माँगे जायें, उन्हें नियत तिथि तक विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।
07. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मूलदस्तावेज महाविद्यालय में सुरक्षित होने की स्थिति में अगर एक विद्यार्थी द्वारा अनैतिक तरीके से एक वर्ष में दो परीक्षाओं में प्रवेश लिया जाता है तो नियमानुसार विद्यार्थी के गलत प्रवेश की जिम्मेदारी महाविद्यालय एवं विद्यार्थी की होगी। साथ ही विश्वविद्यालय के नियमों के विपरीत कोई प्रवेश दिए जाने या कोई जाती दस्तावेज पाए जाने की स्थिति में, मैं पूरी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी रहूँगा। नियमानुसार कानूनी कार्यवाही के लिए बाध्य रहूँगा।
08. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि विश्वविद्यालय के परिनियम/अध्यादेश/अधिनियम एवं संबंधित काउंसिल के नियमों के अनुसार विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश दिया गया है।

मैं घोषणा/सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त बिन्दु क्र. 01 से 08 तक अंकित की गई टीप अर्थात् कथन पूर्णतः सत्य एवं सही है।

दिनांक.....

शपथकर्ता (अधिष्ठाता/प्राचार्य)
नाम, पता, हस्ताक्षर एवं सील सहित

नोट:-विद्यार्थियों की नामवार सूची शपथ पत्र में ही प्रदर्शित करें। उपरोक्त दिये गये प्रारूप में ही शपथ पत्र मान्य किये जाएँगे।

कुलसचिव
म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
जबलपुर(म.प्र.)

जबलपुर, दिनांक-10/05/2026

क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./कु.स./2026/2641 - A
प्रतिलिपि-

01. प्राचार्य/अधिष्ठाता, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालय।
02. कुलगुरु/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
03. डीजीएम, आईटीआई लिमिटेड, बेंगलुरु, अधिसूचना की तिथि अनुसार पोर्टल ओपन करने हेतु।

04. IT शाखा for uploading.

प्रभारी नामांकन शाखा
म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
जबलपुर(म.प्र.)